प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
संत कबीर नगर

सेवा में,

प्रबन्धक
~~एम०एन० पब्लिक स्कूल~~
~~खोभौरा मौसी सेमरियांवा~~
संत कबीर नगर

पत्रांक– 1319-24/2008–09 / दिनांक–२९.८.०८

विषय:– स्थायी मान्यता (कक्षा 01 से 05) तक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निरीक्षण अधिकारी के आख्या एवं संस्तुति के आधार पर विद्यालय को निम्न प्रतिबन्धों के साथ (कक्षा 01 से 05) तक की स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है तथा विभागीय आदेश/ निर्देशों का पालन न किये जाने की दशा में विद्यालय की स्थायी मान्ता बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

1– विद्यालय में मान्य पुस्तकों को ही पढ़ाया जाए।

2– विभागीय आदेश/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए।

भवदीय,

(देवेश कुमार मिश्रा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
संत कबीर नगर

पृष्ठाकन सं0–/ 2008–09/ तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– उपबेसिक शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर।

2– जिला समाज कल्याण अधिकारी संत कबीर नगर।

3– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संत कबीर नगर।

4– जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी संत कबीर नगर।

5– सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी ~~सेमरियांवा~~ संत कबीर नगर।

6– कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
संत कबीर नगर

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
संतकबीरनगर ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
एम०एन०पब्लिक स्कूल,
सोनौरा गौसी, संतकबीरनगर ।

पत्रांक/शिविर/कक्षा संचालन/ 2044-45 /2012-13 दिनांक 3-11-2012

विषय:- कक्षा-6 से कक्षा-8 तक के कक्षा संचालन की अनुमति का आदेश दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आप द्वारा प्रेषित पत्राजातों एवं शपथपत्र के आधार पर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र, इलाहाबाद के आदेश /परिषद/-09/मान्यता/427 दिनांक 12.9.2011 के अनुक्रम में उक्त विद्यालय में कक्षा कक्षा 6 से 8 तक के कक्षा संचालन की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि संस्था द्वारा प्रस्तुत पत्राजातों में/शपथपत्र में यदि किसी प्रकार का तथ्यगोपन भविष्य में प्रकाश में आता है तो प्रदत्त अनुमति स्वत: निरस्त समझी जायेगी

भवदीय,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
संतकबीरनगर ।

पृष्ठांकन संख्या/शिविर/क०सं०/ /2012-13 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि सचिव, मा०शि०प०, इलाहाबाद को पत्रसंख्या/मान्यता/427/दिनांक 11.9.2011 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

जिला विद्यालय निरीक्षक,
संतकबीरनगर ।

प्रपत्र-2

रजिस्टर्ड

हाईस्कूल परीक्षा

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,

एम०एन० पब्लिक स्कूल,
सोनौरा गौसी सन्त कबीरनगर।

पत्रांक माoशिoपo / मान्यता / वाराणसी / 2513 / दिनांक 20-1-2010

विषय सीधे / हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदनोपरान्त शासन से ईण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था एम०एन० पब्लिक स्कूल सोनौरा गौसी सन्त कबीरनगर को बालक / बालिका विद्यालय के रुप में परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2011 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) वित्त विहीन मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:--

सामान्य प्रतिबन्ध

1--- प्रबन्धतन्त्र कक्षा 9 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

2--- इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 9वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय। अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

3--- साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय।

4--- इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने श्रोतों से व्यवस्था के लिए संस्था उत्तरदायी होगी।

5--- विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबंधतंत्र द्वारा अपने श्रोतों से की जाय।

6--- नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे।

विशेष प्रतिबन्ध

क-- संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता संबंधी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

ख--

टिप्पणी-- इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति छ माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव

पृष्ठांकन संख्या माoशिoपo / मान्यता / / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1--जिला विद्यालय निरीक्षक सन्त कबीरनगर
2--सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक बस्ती।
3--हाईस्कूल परीक्षा संस्थागत अनुभाग वाराणसी।
4--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्यालय, इलाहाबाद

Manager
M. N. Public School
Sonaura, Ghausi-S.K.N.

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

पीoएसoयूoपीo (बाo) 12 माoशिoपo---30-07-09---50,000 (कम्प्यूटर / आफसैट)।

Manager
M. N. Public School
Sonaura, Ghausi-S.K.N.

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
एम0एन0 पब्लिक स्कूल सोनौरा
गौसी संतकबीरनगर

पत्रांक – आई0वी0/मान्यता/ 11/51 दिनांक– 29.7. 2011

विषय :– इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की *वर्ष– 2013* की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम,1987 की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पंत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नही होगा।

Manager
M. N. Public School
Sonaura,Ghausi-S.K.N

Scanned with OKEN Scanner

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय को प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग)

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
मानविकी वर्ग	हिन्दी	उर्दू, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागारिकशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, चित्रकला, संस्कृत
वैज्ञानिक वर्ग	सामान्य हिन्दी	अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान

टिप्पणी :– उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी

पृष्ठांकन सं0– आई0वी0/मान्यता/ दिनांक– 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिला विद्यालय निरीक्षक, संतकबीरनगर।
2. संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती।
3. इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग वाराणसी को अभिलेख हेतु।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

Manager
M. N. Public School
S...ura Ghausi-S.K.N.

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी

Scanned with OKEN Scanner